



दिल्ली विधान सभा
Delhi Legislative Assembly

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2004 पर गठित
प्रवर समिति का प्रतिवेदन
**REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON 'NEW DELHI
MUNICIPAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2004**

दिनांक 3.3.2006 को प्रस्तुत
Presented on 3rd March, 2006

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
Delhi Legislative Assembly Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan, Delhi - 54

Composition of the Committee:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Smt. Tajdar Babar | Chairperson |
| श्रीमती ताजदार बाबर | सभापति |
| 2. Dr. AK Walia, Minister of Finance & UD | Member |
| डा० ए.के. वालिया, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री | सदस्य |
| 3. Shri Mahabal Mishra | Member |
| श्री महाबल मिश्रा | सदस्य |
| 4. Shri Tarvinder Singh Marvah | Member |
| श्री तरविन्दर सिंह मारवाह | सदस्य |
| 5. Shri Ashok Ahuja | Member |
| श्री अशोक आहूजा | सदस्य |
| 6. Dr. Harsh Vardhan | Member |
| डा० हर्षवर्द्धन | सदस्य |
| 7. Shri Sushil Choudhery | Member |
| श्री सुशील चौधरी | सदस्य |
| 8. Shri Vijay Jolly | Member |
| श्री विजय जौली | सदस्य |
| 9. Shri Ramvir Singh Bidhuri | Member |
| श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी | सदस्य |

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2004 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2004(2004 का विधेयक संख्या-12) विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2004 को पुरःस्थापित किया गया तथा सदन द्वारा इस पर दिनांक 04 अगस्त, 2004 को विचार किया गया। विधान सभा सचिवालय को कुछ संशोधन प्राप्त हुए परन्तु विधेयक पर विचार करते समय अधिकतर सदस्यों ने यह मांग की कि विधेयक को गहन विचार-विमर्श हेतु प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये।

विधेयक पर जिस दिन विचार किया गया, डॉ.ए.के.वालिया, विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2004(2004 का विधेयक संख्या-12) को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति का गठन दिनांक 13 अगस्त, 2004 को किया गया।

समिति की दिनांक 24 सितम्बर, 2004, 4 अक्टूबर, 2004, 10 फरवरी, 2006 एवं 15 फरवरी, 2006 को समिति की बैठकें सम्पन्न हुईं। कार्यवाही की प्रतियां संलग्न हैं। (अनुलग्नक-क)

15 फरवरी, 2006 को सम्पन्न बैठक में समिति ने कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1980 और मुम्बई नगर निगम अधिनियम, 1988 की जांच की और पाया कि दण्डों की दरें दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1994 से काफी हद तक मिलती-जुलती हैं। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2004 को, जिसमें दण्डों की दरों में 100 से 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है, को समिति द्वारा स्वीकृत न किया जाये।

अतः समिति सिफारिश करती है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2004 को वापिस ले लिया जाए।

दिल्ली
दिनांक: फरवरी, 2006

772-13-5
श्रीमती ताजदार बाबर
चेयरपर्सन

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE ON 'NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2004

The New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2004, (Bill No. 12 of 2004)' for enhancing the rates of penalties for various civic offences was introduced in the House on the 3rd August 2004 and taken up for consideration on 4th August 2004. The Assembly Secretariat received some amendments from a member but at the time of its consideration most of the members demanded that it be referred to the Select Committee of the House for detailed deliberations.

On the day of the consideration of the Bill, on a Motion of Dr. AK Walia, the Minister in-charge of the Bill, 'The New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2004 was referred to the Select Committee. The Select Committee was constituted by the Hon'ble Speaker on 13th August, 2004.

The Committee held its meetings on 24th September, 4th October, 2004, 10th February and 15th February, 2005. the minutes of which are enclosed .

In its meeting held on 15th February, 2006 the Committee scrutinized the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976, Kolkata Municipal Corporation Act, 1980 and Mumbai Municipal Corporation, 1988 and observed that the rates of penalties are somewhat similar as contained in the New Delhi Municipal Council Act, 1994. The Committee took a unanimous decision that the 'The New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2004 which proposed 100 to 200 per cent increase in the rates of penalties, be not accepted by the Committee. (MINUTES ENCLOSED).

The Committee therefore recommends that 'The New Delhi Municipal Council (Amendment) Bill, 2004" be withdrawn.

DELHI
February 2006

Tajdar-13-5-06
(Smt. Tajdar Babar)
Chairperson